

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 163/2012

तारीख दायर : 17.07.2012

अनवान

1. भोलु पिता गोपी जाति गुर्जर निवासी चावंडिया तहसील माण्डलगढ़

वादी...

बनाम

1. देवकरण पिता भोजा जाति गुर्जर निवासी चावंडिया तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादी.....

उपस्थित :-

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादी)
2. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- निर्णय :-

दिनांक : 30.01.2023

वाद वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाद नियमित सुनवाई पर कार्यवाही होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रतिवादी का कब्जा वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि मौजा चावण्डिया प0ह0 जस्जू जी का खेडा के खसरा नं. 364/226 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 379/225 रकबा 1 बीघा कुल किता दो रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर अवैध अतिक्रमण से कब्जा पाया जाये तो प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर, वादी को उसकी खाते में दर्ज भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करवाया जावे। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		

जय कौशिक (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़